

[2024] 9 एस सी आर 473 : 2024 आई. एन. एस. सी. 686

रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 10620/2024)

12 सितंबर 2024

[माननीय न्या. श्री संजीव खन्ना और माननीय न्या श्री आर. महादेवन]

विचारणीय विवादक

क्या मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29क के अंतर्गत समय विस्तार के लिए आवेदन माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने की अवधि की समाप्ति के बाद दायर किया जा सकता है।

शीर्ष टिप्पणियां

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996- धारा 29क (4)- 'समाप्ति' -व्याख्या- मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 -मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019- धारा 29क(4) की सहपठित धारा 29क (5) के अंतर्गत माध्यस्थम् अधिनिर्णय पारित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन, यदि बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद बनाए रखने योग्य हो- विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए विरोधाभासी विचार:

अभिनिर्धारित: हां, धारा 29क (4) की सहपठित धारा 29क (5) के तहत माध्यस्थम् अधिनिर्णय पारित करने के लिए समय अवधि के विस्तार हेतु आवेदन, बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद भी बनाए रखा जा सकता

है, चाहे जैसा भी मामला हो - ऐसे विस्तार आवेदनों का निर्णय पर्याप्त कारण के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए और विस्तार को बुद्धिरहित रूप में नहीं दिया जाना चाहिए - दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, बॉम्बे, केरल, मद्रास उच्च न्यायालयों तथा अशोक कुमार गुप्ता मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, स्वीकार किया गया - रोहन बिल्डर्स मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का तर्क भ्रामक एवं अस्वीकार्य है - धारा 29क (4) में शब्द "समाप्त" को सख्त शब्दकोश अर्थ वाले अलग शब्द के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि आसपास के शब्दों और अभिव्यक्तियों के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए जो विधायी मंशा को दर्शाता है - विधायी स्तर पर "निलंबन" शब्द के स्थान पर "समाप्त" शब्द को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि "निलंबन" शब्द असंगति और कानूनी उलझन पैदा कर सकता है, यदि कोई भी पक्षकार समय विस्तार के लिए आवेदन दाखिल नहीं करता है - "समाप्त" शब्द का उपयोग करके विधान-मंडल की मंशा पक्षकार स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि करना है - धारा 29क (4) में शब्द "समाप्त" माध्यस्थता अधिकरण को अप्रभावी बनाता है, परंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करता है। शब्द "समाप्त" का वास्तविक अभिप्राय प्रावधान के अर्थ को देखते हुए समझा जाना चाहिए - शब्द "समाप्त" के बाद पूर्ण विराम का न होना उल्लेखनीय है - शब्द "समाप्त" के बाद संयोजक शब्द "जब तक" आता है, जो पहले भाग को धारा के बाद के भाग के अनुकूल बनाता है, अर्थात् "जब तक कि न्यायालय ने निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में, अवधि को नहीं बढ़ाया है" - अभिव्यक्ति "निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में" को न्यायालय की समय विस्तार प्रदान करने की शक्ति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए- मध्यस्थता अधिदेश की समाप्ति विस्तार आवेदन दाखिल न करने की शर्त पर होगी और इसे पूरी तरह से समाप्ति

नहीं माना जा सकता - संदर्भगत रूप में "समाप्त" शब्द समाप्ति को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जैसे कि कार्यवाही कानूनी और अंतिम स्थिति पर पहुंच गई है, और समय विस्तार हेतु आवेदन दायर करने पर भी इसे जारी नहीं रखा जा सकता - धारा 29क (4) को संकीर्ण एवं प्रतिबंधात्मक अर्थ देना, परिसीमा के प्रतिबंध की नकारात्मक शर्त को शामिल करके न्यायिक कानून बनाने में लिप्त होना होगा, जिसका गंभीर निरस्तीकरण प्रभाव होगा- कठोर व्याख्या का अर्थ धारा 29क के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कानून बनाना एवं परिसीमा अवधि निर्धारित करना होगा, जबकि धारा में ऐसा उल्लेख नहीं है- प्रतिबंधात्मक एवं संकीर्ण व्याख्या के परिणाम बताये गए। [पैरा 9-12, 15, 19]

कानून की व्याख्या - शाब्दिक निर्माण के सम्बन्ध में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या - मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996- धारा 29क (4):

अभिनिर्धारित: किसी कानून की व्याख्या करते समय, यदि कोई व्याख्या अनुचित परिणाम उत्पन्न करती है तो उसे किसी कानून पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यदि कोई अन्य समान रूप से संभव व्याख्या है जो स्वीकार्य, व्यावहारिक और प्रयोजनमूलक है, उसे आरोपित किया जाना चाहिए - व्याख्यात्मक अभ्यास को प्रावधान के मूलपाठ और संदर्भ दोनों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए किया जाना चाहिए - इसलिए, कभी-कभी न्यायालय शाब्दिक निर्माण से परहेज करता है यदि वह स्पष्ट रूप से अर्थहीन या अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है - व्याख्यात्मक प्रक्रिया को कानूनी मूलपाठ के लक्ष्य या उद्देश्य को पहचानना चाहिए - धारा 29क का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को समय पर होने को सुनिश्चित करना है, साथ ही न्यायालयों को आवश्यकता पड़ने पर विस्तार देने की छूट प्रदान करना भी है - जब तक स्पष्ट रूप से शब्दों में या

आवश्यक रूप से न कहा जाए, सीमा अवधि निर्धारित करना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए - सीमा अवधि के प्रतिबंध के दंडात्मक और घातक परिणाम होते हैं। [पैरा 9,13,18]

उद्धृत निर्णयज मामला

ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड व अन्य बनाम अशोक पेपर मिल (असम) लिमिटेड व अन्य [\[2023\] 15 एससीआर 821](#) : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1649-निर्भरता रखी गयी।

रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, माध्य.या./328/2023- अस्वीकृत किया गया।

एटीसी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड, 2023:डीएचसी:8078; वाडिया टेक्नो-इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड बनाम डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मैरिड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट व अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 2990; निखिल एच. मलकान व अन्य बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट एंड लोन (इंडिया) लिमिटेड 2023:बीएचसी-ओएस 14063; हिरन वलियाक्किल लाल व अन्य बनाम विनीत एम. वी. व अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन केर 5151; जी.एन. पांडियन बनाम एस. वासुदेवन व अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन मैड 737; एच. पी. सिंह बनाम जी. एम. उत्तरी रेलवे व अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन जम्मू एंड कश्मीर 1255; अशोक कुमार गुप्ता बनाम एम. डी. क्रिएशन व अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन केल 6909- अनुमोदित किया गया।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 20350/2021- संदर्भित किया गया।

उद्धृत पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ

भारत के विधि आयोग की 176 वीं रिपोर्ट।

अधिनियमों की सूची

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996; मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015; मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019; मध्यस्थता अधिनियम, 1940।

मुख्य शब्दों की सूची

समय का विस्तार; समय के विस्तार हेतु आवेदन; विस्तार आवेदन; माध्यस्थम् अधिनिर्णय पारित करने के लिए समय विस्तार हेतु आवेदन; माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने की अवधि की समाप्त तिथि; मध्यस्थता आदेश की समाप्ति; 'समाप्त'; 'समाप्ति'; 'निलंबन'; समाप्त; मध्यस्थता आदेश; परिसीमा का वर्जन; परिसीमा अवधि; कानूनों की व्याख्या; शाब्दिक निर्माण; उद्देश्यपूर्ण व्याख्या; कठोर व्याख्या; संकीर्ण व्याख्या; प्रतिबंधात्मक अर्थ/व्याख्या; पर्याप्त कारण।

निम्नलिखित से उद्भूत मामले

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अवकाश याचिका (सिविल) सं. 23320/ 2023

माध्य.या. सं. 328/2023 में उच्च न्यायालय, कलकत्ता के दिनांक 06.09.2023 के निर्णय एवं आदेश,

सहित

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 24489, 26938, 26990-26991 और 27353/2023 और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 1344, 2115, 8131, 12170 तथा 13975-13976/2024 से।

पक्षकारगण की ओर से उपस्थिति

नकुल दीवान, गोपाल जैन, सिद्धार्थ भटनागर, नीरज किशन कौल, श्याम दीवान, हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, निरव शाह, सौम्या राय चौधरी, भूषण पानसे, सत्येंद्र सहारन, सतविक चंद्रशेखर, सुश्री उदिता सिंह, रौनक ढिल्लों, सुश्री माधवी खन्ना, सुश्री ईशा मलिक, सुश्री निहारिका शुक्ला, मैसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास, सम्राट सेनगुप्ता, उदयादित्य बनर्जी, सौम्या दत्ता, पराग चतुर्वेदी, रजत जोसेफ, सुश्री दीपलक्ष्मी सुभाष मातवंकर, डॉ. रवींद्र चिंगले, सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, कार्तिक नायर, अभिषेक मोहंती, संजय बैद, अरिंदम घोष, स्वर्णेंद्र चटर्जी, निलय सेनगुप्ता, सुजीत बनर्जी, अंकित अग्रवाल, सुश्री दीपाक्षी गर्ग, श्रीमती वनिता भार्गव, अजय भार्गव, सुश्री वामिका त्रेहन, सुश्री राधिका खन्ना टंडन, मैसर्स खेतान एंड कंपनी, उमेश कुमार खेतान, दीपक खुराना, सुश्री मनाली सिंघल, सुश्री निष्ठा वाधवा, संतोष सचिन, सुश्री श्रेया सिंघल, दीपक रावत, मिलिंद कुमार, विकास मेहता, अपूर्व खातोर, आशीष बत्रा, सेबिन माइकल जोसेफ, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, सुश्री श्रीजा चौधरी, अनंत, सुश्री सजल भारद्वाज, सुश्री आंचल बसूर, इवान, उपस्थित पक्षकारगण हेतु अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. संजीव खन्ना,

अनुमति प्रदानित।

2. यह सामान्य निर्णय यह तय करता है कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29क के तहत समय विस्तार हेतु आवेदन माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात दायर किया जा सकता है। *रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड*

बनाम बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क एवं ग अधिनियम की धारा 29क(4) एवं 29क(5) के तहत समय विस्तार हेतु आवेदन पर केवल तभी विचार किया जा सकता है, जब इसे माध्यस्थम् अधिकरण के आदेश के समाप्त होने से पहले दायर किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब माध्यस्थम् अधिकरण का आदेश बारह महीने के समय बीत जाने पर या जब पक्षकारगण द्वारा सहमत छह महीने के अतिरिक्त विस्तार के बाद समाप्त हो जाता है, तो धारा 29क(4) के तहत समय विस्तार की न्यायालय की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम भागलपुर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मामले में पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने भी इसी प्रकार का निर्णय लिया है। हालाँकि, अन्य उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड, वाडिया टेक्नो-इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड बनाम डायरेक्टर जनरल ऑफ मैरिड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट व अन्य, तथा कुछ अन्य मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय; निखिल एच. मलकान व अन्य बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स (इंडिया) लिमिटेड में बॉम्बे उच्च न्यायालय; हिरन वलियाक्किल लाल व अन्य बनाम विनीत एम.वी. व अन्य में केरल उच्च न्यायालय; जी.एन. पांडियन बनाम एस वासुदेवन व अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय; तथा एच.पी. सिंह बनाम जी.एम. उत्तरी रेलवे व अन्य में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि माध्यस्थम् अधिनिर्णय की समय सीमा के विस्तार हेतु आवेदन किसी पक्षकार द्वारा बारह महीने की अवधि या छह महीने की विस्तारित

अवधि के समाप्त होने के बाद भी दायर किया जा सकता है। हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने *अशोक कुमार गुप्ता बनाम एम.डी. क्रिएशन्स व अन्य* मामले में एकल न्यायाधीश के बाद के निर्णय में, विस्तृत जांच के बाद, इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है।

3. नीचे दर्ज कारणों से, हम दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख, बॉम्बे, केरल, मद्रास के उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण और *अशोक कुमार गुप्ता* (पूर्वोक्त) में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए बाद के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। हालांकि, इससे पहले कि हम अपने कारणों को स्पष्ट करें, सबसे पहले क एवं ग अधिनियम की धारा 29 क को उद्धृत करना उचित होगा क्योंकि यह आज भी मौजूद है:

“29-क. माध्यस्थम् अधिनिर्णय के लिए समय सीमा- (1)
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मामलों में अधिनिर्णय माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत अभिवचन पूरा होने की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा:

बशर्ते कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में अधिनिर्णय यथासंभव शीघ्रता से किया जा सकेगा तथा धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन अभिवचनों के पूरा होने की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर मामले को निपटाने का प्रयास किया जा सकेगा।

(2) यदि अधिनिर्णय माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा संदर्भ पर विचार करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर किया जाता है, तो माध्यस्थम् अधिकरण अतिरिक्त शुल्क

की ऐसी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस पर पक्षकारगण सहमत हों।

(3) पक्षकारगण सहमति से उपधारा (1) में अधिनिर्णय बनाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को छह माह से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए नहीं बढ़ा सकेंगे।

(4) यदि अधिनिर्णय उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि या उपधारा (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो मध्यस्थ/मध्यस्थों का आदेश समाप्त हो जाएगा, जब तक कि न्यायालय ने निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व या पश्चात्, अवधि को विस्तारित नहीं कर दिया हो:

बशर्ते कि इस उपधारा के अधीन अवधि बढ़ाते समय, यदि न्यायालय पाता है कि कार्यवाही में माध्यस्थम् अधिकरण के कारण देरी हुई है, तो वह प्रत्येक माह के विलंब हेतु मध्यस्थ/मध्यस्थों की फीस में पांच प्रतिशत से अधिक की कटौती का आदेश दे सकता है:

आगे यह भी प्रावधान है कि जहां उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन लंबित है, वहां मध्यस्थ का आदेश उक्त आवेदन के निपटान तक जारी रहेगा:

यह भी प्रावधान है कि फीस कम करने से पहले मध्यस्थ को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि का विस्तार किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकेगा एवं केवल पर्याप्त

कारण होने पर तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ही प्रदान किया जा सकेगा, जो न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाएं।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ाते समय न्यायालय को मध्यस्थों में से एक या सभी को प्रतिस्थापित करने की स्वतंत्रता होगी तथा यदि मध्यस्थों में से एक या सभी को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो मध्यस्थता कार्यवाही पहले से ही पहुँच चुके चरण से और पहले से ही अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर जारी रहेगी तथा इस धारा के अधीन नियुक्त मध्यस्थ/मध्यस्थों को उक्त साक्ष्य एवं सामग्री प्राप्त हो गई मानी जाएगी।

(7) इस धारा के अंतर्गत मध्यस्थ/मध्यस्थों की नियुक्ति की स्थिति में, इस प्रकार पुनर्गठित माध्यस्थम् अधिकरण को पहले से नियुक्त माध्यस्थम् अधिकरण की निरंतरता में माना जाएगा।

(8) इस धारा के अंतर्गत न्यायालय को किसी भी पक्षकारगण पर वास्तविक या अनुकरणीय लागत लगाने की स्वतंत्रता होगी।

(9) उपधारा (5) के अंतर्गत दायर आवेदन का न्यायालय द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा तथा विरोधी पक्ष को नोटिस की तामील की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।"

4. इससे पहले, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 ने अपनी प्रथम अनुसूची में यह प्रावधान किया था कि माध्यस्थम् अधिनिर्णय संदर्भ की तिथि से चार महीने के भीतर, या मध्यस्थ को नोटिस द्वारा कार्य करने के लिए बुलाए जाने की तिथि से, या उसके बाद दी गई किसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 28(1) न्यायालय को अधिनिर्णय बनाने के लिए समय बढ़ाने का अधिकार देती है, भले ही मूल समय समाप्त हो गया हो या अधिनिर्णय पहले ही दिया जा चुका हो। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 28(2) के अनुसार, पक्षकारगण आपसी सहमति से अधिनिर्णय बनाने के लिए समय बढ़ा सकते हैं। धारा 29क के अधिनियमन से पहले, क एवं ग अधिनियम में माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। यह जानबूझकर किया गया था, इस तथ्य को देखते हुए कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की पहली अनुसूची और धारा 28 मुकदमेबाजी और देरी का कारण बनी। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, धारा 29क को 2016 के अधिनियम सं. 3 द्वारा 23.10.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सम्मिलित किया गया था। मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मध्यस्थता कार्यवाही अनावश्यक स्थगन और देरी के बिना पूरी हो।
- 5 धारा 29क में माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने के लिए दो समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले, धारा 29क (1) में कहा गया है कि मध्यस्थता अधिकरण द्वारा बारह महीने की अवधि के भीतर अधिनिर्णय दिया जाएगा। दूसरे, धारा 29क(3) में प्रावधान है कि पक्षकारगण सहमति से अधिनिर्णय बनाने के लिए समय को बारह महीने से अधिक, छह महीने की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकते हैं।

पक्षकारगण की सहमति से भी, छह महीने से अधिक समय विस्तार की अनुमति नहीं है। मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 की अधिनियम सं. 33), के अनुसार धारा 29क (1) के अंतर्गत माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने की समय-सीमा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होती है। 2019 के अधिनियम सं. 33 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, बारह महीने की अवधि क एवं ग अधिनियम की धारा 23(4) के तहत अभिवचनों के समाप्त होने की तारीख से शुरू होती है। इससे पहले, धारा 29क (1) में यह प्रावधान था कि बारह महीने की अवधि उस तिथि से शुरू होगी जिस दिन माध्यस्थम् अधिकरण निर्दिष्ट होगा। धारा 29क(2) में कहा गया है कि यदि अधिनिर्णय छह महीने के भीतर दिया जाता है, तो माध्यस्थम् अधिकरण अतिरिक्त शुल्क के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस पर पक्षकारगण सहमत हों।

6. धारा 29क (4) वह प्रावधान है जिसकी व्याख्या की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि यदि बारह या अठारह महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है, तो माध्यस्थम् अधिकरण का आदेश समाप्त हो जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होता है, जब न्यायालय ने प्रारंभिक या विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में अवधि बढ़ा दी हो। दूसरे शब्दों में, धारा 29क (4) न्यायालय को, माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने की अवधि को बारह महीने या अठारह महीने की अवधि से आगे बढ़ाने का अधिकार देती है, जैसा भी मामला हो। अभिव्यक्ति "या तो निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में" स्पष्ट है। भाषा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायालय समय को बढ़ा सकता है, जहां आवेदन उपधारा (1) के तहत अवधि की समाप्ति के बाद या उपधारा (3) के

तहत विस्तारित अवधि के बाद दायर किया जाता है। न्यायालय को निर्धारित अवधि से पहले या बाद में किसी भी समय अधिनिर्णय बनाने की अवधि बढ़ाने का अधिकार है।

7. धारा 29क (5) में कहा गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल कोई पक्षकार अधिनिर्णय बनाने हेतु समय बढ़ाने के लिए न्यायालय में आवेदन दायर कर सकता है। धारा 29क(4) के दूसरे परंतुक के अनुसार, जहां धारा 29क(5) के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन दायर किया गया है एवं लंबित है, माध्यस्थम् अधिकरण का आदेश आवेदन के निपटान तक जारी रहेगा। इस प्रकार, धारा 29क(4) का दूसरा परंतुक, विशिष्ट आदेश द्वारा, न्यायालय के समक्ष धारा 29क(5) के तहत विस्तार आवेदन के लंबित रहने के दौरान मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता है। अंत में, समय का विस्तार न्यायालय द्वारा केवल 'पर्याप्त कारण' पर तथा न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों व शर्तों पर ही दिया जाएगा। हम आखिरी पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यह व्याख्या क्यों बेहतर है। सबसे पहले, हम *रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में भाव और तर्क का उल्लेख करेंगे।
8. *रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड* (पूर्वोक्त) के भाव एवं तर्क का मूल, धारा 29क(4) में "समाप्त" अभिव्यक्ति के उपयोग पर आधारित है। यह निर्णय भारतीय विधि आयोग की 176वीं रिपोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें "निलंबन" शब्द के प्रयोग का सुझाव दिया गया था। "समाप्त" और "निलंबन" शब्दों को एक साथ रखते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि "समाप्त" अभिव्यक्ति का उपयोग निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर माध्यस्थम् अधिकरण के आदेश को समाप्त करने की विधायी मंशा को दर्शाता है। इसलिए, तर्क यह है कि आदेश

की समाप्ति पर, माध्यस्थम् अधिकरण *विधितः* अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसी तर्ज पर, हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि अनुक्रम के रूप में, तथा क एवं ग अधिनियम की धारा 14, 15, 29क एवं 32 को ध्यान में रखते हुए, किसी पक्ष को प्रारंभिक बारह महीने की अवधि या विस्तारित छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले माध्यस्थम् अधिनिर्णय बनाने के लिए समय के विस्तार हेतु आवेदन दायर करना चाहिए।

9. हमारी राय में, उपर्युक्त तर्क भ्रामक एवं अस्वीकार्य है। भाषा विचारों एवं इरादों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कार्य करती है। शब्दों के विभिन्न अर्थ एवं लक्ष्यार्थ हो सकते हैं; इसलिए, व्याख्यात्मक अभ्यास को प्रावधान के पाठ और संदर्भ दोनों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए किया जाना चाहिए। इसलिए, कभी-कभी न्यायालय शाब्दिक निर्माण से परहेज करता है यदि वह स्पष्ट रूप से अर्थहीन या अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है।
10. धारा 29क(4) में "समाप्त" शब्द को उक्त प्रावधान के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। इसे सख्त शब्दकोश अर्थ वाले अलग शब्द के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि आस-पास के शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए जो मान्यता तथा विचार के योग्य हैं। इससे विधायी मंशा का पता चलता है। दूसरे, विधायी रूप से "निलंबन" शब्द के बजाय "समाप्त" शब्द को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यदि कोई भी पक्षकार समय के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करता है, तो "निलंबन" शब्द असंगति एवं कानूनी उलझन पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में मध्यस्थता कार्यवाही *अनिश्चित काल* तक स्थगित रहेगी। इसलिए, "समाप्त" शब्द का उपयोग करके विधान-मंडल की मंशा पक्षकार स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि करना है। परिणामस्वरूप, यदि

कोई भी पक्षकार अधिनिर्णय बनाने के लिए समय विस्तार हेतु आवेदन नहीं करता है, तो मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त हो जाती है। जिससे निष्कर्ष निकलता है। स्पष्टतः, "निलंबन" शब्द के प्रयोग से असंभाव्य परिणाम होंगे।

11. धारा 29क (4) में शब्द "समाप्त" माध्यस्थम् अधिकरण को अप्रभावी बनाता है, परंतु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करता है। शब्द "समाप्त" का वास्तविक अभिप्राय प्रावधान के अर्थ को देखते हुए समझा जाना चाहिए। शब्द "समाप्त" के बाद पूर्ण विराम का न होना उल्लेखनीय है। शब्द "समाप्त" के बाद संयोजक शब्द "जब तक" आता है, जो पहले भाग को धारा के बाद के भाग के अनुकूल बनाता है, अर्थात् "जब तक कि न्यायालय ने निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में, अवधि को नहीं बढ़ाया है।" अभिव्यक्ति "निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में" को न्यायालय की समय विस्तार प्रदान करने की शक्ति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
12. तदनुसार, मध्यस्थता अधिदेश की समाप्ति विस्तार आवेदन दाखिल न करने की शर्त पर होगी और इसे पूरी तरह से समाप्ति नहीं माना जा सकता। संदर्भगत रूप में "समाप्त" शब्द समाप्ति को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जैसे कि कार्यवाही कानूनी और अंतिम स्थिति पर पहुंच गई है, और समय विस्तार हेतु आवेदन दायर करने पर भी इसे जारी नहीं रखा जा सकता। इसलिए, धारा 29क(4) के तहत समाप्ति कोई निश्चित या निरंकुश प्रकृति की नहीं है।
13. व्याख्यात्मक प्रक्रिया को कानूनी मूलपाठ के लक्ष्य या उद्देश्य को पहचानना चाहिए। धारा 29क का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को समय पर होने को सुनिश्चित करना है, साथ ही न्यायालयों को

आवश्यकता पड़ने पर विस्तार देने की छूट प्रदान करना भी है। जब तक स्पष्ट रूप से शब्दों में या आवश्यक रूप से न कहा जाए, सीमा अवधि निर्धारित करना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सीमा अवधि के प्रतिबंध के दंडात्मक और घातक परिणाम होते हैं। इस न्यायालय ने नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड व अन्य बनाम अशोक पेपर मिल (असम) लिमिटेड व अन्य मामले में टिप्पणी की थी:

“जब कोई सीमा निर्धारित नहीं है तो न्यायालय के लिए यह अनुचित होगा कि वह विधान-मंडल के विवेक को अपने विवेक से प्रतिस्थापित कर दे एवं सीमा प्रदान कर दे, विशेषकर उस अवधि के अनुसार जिसे वह उचित मानता हो।”

न्यायालयों को उन मामलों में विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए जहां विधान-मंडल ने ऐसा करने से परहेज किया हो। यदि हम धारा 29क (4) को संकीर्ण एवं प्रतिबंधात्मक अर्थ देते हैं, तो हम सीमा-अवधि के नकारात्मक प्रावधान को शामिल करके न्यायिक कानून बनाने में संलग्न होंगे, जिसका गंभीर निरस्तीकरण प्रभाव होगा। इस तरह की व्याख्या कानून के दायरे को बढ़ाने के लिए शब्द जोड़ेगी और कानून में संशोधन या पुनर्लेखन के समान होगी। यदि विधान-मंडल का ऐसा परिणाम चाहने की मंशा होती, तो वह कानून में यह कह सकती थी कि - "न्यायालय अवधि को तभी बढ़ा सकता है जब आवेदन मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति से पहले दायर किया गया हो, उसके बाद नहीं"। वास्तव में, कानून में "अवधि की समाप्ति के बाद" वाक्यांश का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

दूसरे शब्दों में, कठोर व्याख्या का अर्थ धारा 29ए के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए एक सीमा अवधि निर्धारित करना और कानून

बनाना होगा, जबकि धारा में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है। बल्कि, प्रावधान की अभिव्यक्ति और मंशा इसके विपरीत है।

14. हमारी राय में, प्रतिबंधात्मक व्याख्या से कठोरता, बाधाएं एवं जटिलताएं उत्पन्न होंगी। धारा 29क(3) के तहत छह महीने के सहमति आधारित समय विस्तार की संभावना के बावजूद, बारह महीने की मध्यस्थता अवधि समाप्त न होने पर भी किसी पक्ष को न्यायालय में जाना होगा। संकीर्ण व्याख्या दोषरहित पक्ष को क एवं ग अधिनियम के तहत एक नए संदर्भ या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए भेजकर अतिरिक्त चुनौती प्रस्तुत करती है, जिससे मध्यस्थता को सुविधाजनक बनाने के बजाय इसमें बाधा उत्पन्न होती है। 2015 के संशोधन के तहत विधानमंडल ने मामलों के शीघ्र निपटान एवं मुकदमेबाजी की लागत को कम करके मध्यस्थता को एक वाद-केंद्रित प्रक्रिया के रूप में देखा है। संकीर्ण व्याख्या प्रतिकूल परिणाम देगी। भारत के विधि आयोग की 176वीं रिपोर्ट में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों में इस आशय को उचित रूप से व्यक्त किया गया है:

“2.21.1 (...) लेकिन समय के विस्तार के प्रावधान की चूक और इसलिए किसी भी समय सीमा की अनुपस्थिति ने एक और समस्या को जन्म दिया है, अर्थात्, 1996 के अधिनियम के तहत भी माध्यस्थता अधिकरण के समक्ष अधिनिर्णय में देरी हो रही है। एक दृष्टिकोण यह है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें अधिनिर्णय पारित करने के लिए समय-सीमा का प्रावधान नहीं है।

2.21.3 (...) समय सीमा को और अधिक यथार्थवादी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि इसे न्यायालय द्वारा बढ़ाया जाए। आयोग के संज्ञान में एक ही मध्यस्थता में पांच साल से लेकर चौदह साल तक की देरी की बात सामने आई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माध्यस्थम् अधिकरण की इन देरी का उल्लेख किया है। यहां मुद्दा यह है कि ये विलंब उन मामलों में भी हो रहा है जहां मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। समय सीमा हटाने के अपने प्रतिकूल परिणाम होंगे। विस्तार के लिए आवेदनों के शीघ्र निपटान का प्रावधान किया जा सकता है, यदि यह समय-सीमा निर्धारित करने वाले प्रावधान, जैसे कि एक माह, को छोड़ने का एक कारण है। पक्षकारगण को एक वर्ष तक समय बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। विस्तार के लिए आवेदन लंबित रहने तक, हम मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने का प्रस्ताव करते हैं। (...)

XX XX XX

2.21.4 इसलिए, विधि आयोग की 76वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश को इस संशोधन के साथ लागू करने का प्रस्ताव है कि मध्यस्थों द्वारा संदर्भ में आने के कम से कम एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना चाहिए। प्रारंभिक अवधि एक वर्ष होगी। इसके बाद, पक्षकारगण सहमति से अवधि को अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। एक वर्ष और आपसी सहमति से तय अवधि के बाद, न्यायालय को विस्तार देना होगा। विस्तार के लिए आवेदनों का निपटान एक महीने के भीतर किया जाना है। विस्तार प्रदान करते समय, न्यायालय लागत लगा सकता है तथा अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली भावी प्रक्रिया का भी

संकेत दे सकता है। इसलिए, एक और परंतुक यह होगा कि न्यायालय द्वारा ऊपर बताई गई अवधि से आगे भी विस्तार दिया जाना चाहिए। हम विधि आयोग द्वारा पहले की गई सिफारिश के अनुसार विस्तार की शक्ति पर कोई सीमा तय करने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां न्यायालय को लगता है कि 24 महीने से अधिक समय की आवश्यकता है। ऊपरी समय-सीमा तय करना न्यायालय पर छोड़ा जा सकता है। यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि 24 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद न तो पक्षकारगण सहमति से और न ही माध्यस्थता अधिकरण इस अवधि को बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में न्यायालय का आदेश आवश्यक होगा। लेकिन यह देखने के लिए कि विस्तार आवेदनों के निपटान में देरी से मध्यस्थता में बाधा न आए, हम आवेदन के निपटान तक मध्यस्थता जारी रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव करते हैं।

2.21.5 यहां एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि प्रारंभिक एक वर्ष और पक्षकारगण द्वारा सहमत अवधि (अधिकतम एक वर्ष) से अधिक विलंब होता है, तथा न्यायालय द्वारा विस्तार की अवधि भी दी जाती है, तो मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने का कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रस्ताव है कि जब तक अधिनिर्णय पारित नहीं हो जाता, तब तक इन्हें जारी रखा जाना चाहिए। इस प्रकार की समाप्ति से वास्तव में पक्षकारगण के लिए समय और धन की बर्बादी हो सकती है, जबकि बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वास्तव में, यदि कार्यवाही समाप्त हो जाती है और दावेदार को अलग से वाद दायर करना होता है, तो ऐसी स्थिति को आच्छादित करने के लिए धारा 43(5) में संशोधन करके, यदि उसकी कोई गलती नहीं थी, तो मध्यस्थता कार्यवाही में व्यतीत की गई अवधि को बाहर

करना भी आवश्यक हो जाएगा। लेकिन आयोग का मानना है कि इस समस्या का एक बेहतर समाधान भी है।

इसलिए, आयोग यह देखना चाहता है कि माध्यस्थम् अधिनिर्णय अंततः पारित हो, भले ही उपर्युक्त विलम्ब हुआ हो। आगे और विलम्ब न हो, इसके लिए आयोग ने प्रस्ताव रखा है कि प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि तथा पक्षकारगण द्वारा सहमत आगे की अवधि (अधिकतम एक वर्ष के अधीन) समाप्त हो जाने के पश्चात, मध्यस्थता कार्यवाही लगभग निलंबित हो जाएगी तथा जैसे ही कार्यवाही में शामिल कोई भी पक्षकार समय विस्तार के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा, वह पुनः शुरू हो जाएगी। यदि कोई भी पक्षकार आवेदन दायर नहीं करता है, तब भी माध्यस्थम् अधिकरण न्यायालय से समय विस्तार की मांग कर सकता है। आवेदन दायर होने के क्षण से ही मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। जब न्यायालय विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करेगा, तो वह लागत के संबंध में किसी आदेश के अधीन विस्तार प्रदान करेगा तथा माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष भावी प्रक्रिया के लिए समय-सूची निर्धारित करेगा। यह आरंभ में समय विस्तार प्रदान करने तथा माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष समय-सीमा तय करने का आदेश पारित करेगा, तथा अधिनिर्णय पारित होने तक आगे भी आदेश पारित करता रहेगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि अंततः अधिनिर्णय पारित हो।”

15. *रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड* (पूर्वोक्त) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि समाप्ति अवधि के बाद विस्तार आवेदन की अनुमति देने वाली व्याख्या से दुष्ट मुकदमेबाज को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिनिर्णय बनाने की समय सीमा महत्वहीन हो जाएगी। हालांकि, यह

ध्यान देने योग्य है कि धारा 29क(5) के तहत, समय बढ़ाने की न्यायालय की शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाना है जहाँ ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण हों। आवेदन दाखिल करने पर ऐसा विस्तार यंत्रवत् प्रदान नहीं किया जाता है। अधिनियम के संदर्भ में न्यायालय का न्यायिक विवेक किसी भी पक्षकार द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने, एवं तुच्छ या परेशान करने वाले आवेदन का समर्थन करने के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, न्यायालय विस्तार देते समय नियम व शर्तें भी लागू कर सकता है। माध्यस्थम् अधिकरण की ओर से की गई देरी को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। धारा 29क (4) का पहला परंतुक माध्यस्थम् अधिकरण के कारण होने वाली देरी से प्रत्येक महीने के लिए शुल्क में पाँच प्रतिशत तक की कटौती की अनुमति देता है।

16. अंत में, धारा 29क(6) “समाप्त”, अभिव्यक्ति की संकीर्ण व्याख्या का समर्थन नहीं करती है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय धारा 29क(4) के तहत विस्तार आवेदन पर निर्णय करते समय एक या सभी मध्यस्थों को प्रतिस्थापित कर सकता है। धारा 29क(7) में कहा गया है कि यदि कोई नया मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, तो पुनर्गठित माध्यस्थम् अधिकरण को पहले नियुक्त माध्यस्थम् अधिकरण की निरंतरता माना जाएगा। इससे मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए क एवं ग अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत नया आवेदन दायर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मध्यस्थ/मध्यस्थों के प्रतिस्थापन की स्थिति में, मध्यस्थता कार्यवाही पहले से पहुँच चुके चरण से शुरू होगी। अभिलेख पर पहले से मौजूद साक्ष्य या सामग्री को नवगठित अधिकरण द्वारा प्राप्त माना जाएगा। उपर्युक्त मान्य प्रावधान मध्यस्थता प्रक्रिया में दक्षता एवं शीघ्रता लाने के विधायी इरादे को रेखांकित करते हैं। यह

मंशा धारा 29क(8) और 29क(9) में भी प्रदर्शित किया गया है। धारा 29क(8) के अनुसार न्यायालय को पक्षकारगण पर वास्तविक या अनुकरणीय लागत लगाने का अधिकार है। अंत में, धारा 29क(9) में प्रावधान है कि उपधारा (5) के तहत विस्तार के लिए आवेदन का निपटान शीघ्रता से किया जाना चाहिए, तथा ऐसा दाखिल करने की तिथि से साठ दिनों के भीतर करने का प्रयास करना चाहिए।

17. धारा 29क(4) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, माध्यस्थम् अधिकरण का आदेश तब भी जारी रहता है, जब उपधारा (5) के तहत आवेदन लंबित हो। हालांकि, माध्यस्थम् अधिकरण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन पर न्यायालय द्वारा उपधारा (5) के अनुसार निर्णय लिया जाएगा, और उपधारा (6) से (8) को लागू किया जा सकता है। अधिनिर्णय बनाने हेतु समय अवधि बढ़ाने की शक्ति न्यायालय में निहित है, माध्यस्थम् अधिकरण को यह अधिकार नहीं है। इसलिए, मध्यस्थता अधिकरण तब तक कोई निर्णय नहीं सुना सकता जब तक कि क एवं ग अधिनियम की धारा 29क(5) के तहत आवेदन न्यायालय के समक्ष विचाराधीन न हो। किसी दिए गए मामले में, जहां मध्यस्थता अधिकरण की अवधि के विस्तार हेतु एक आवेदन के लंबित रहने के दौरान एक अधिनिर्णय सुनाया जाता है, न्यायालय को अभी भी उप-धारा (5) के तहत आवेदन पर निर्णय करना होगा, और यहां तक कि, जहां एक अधिनिर्णय सुनाया गया है, जब आवश्यक और उचित हो, तो उप-धारा (6) से (8), या क एवं ग अधिनियम की धारा 29क(4) के पहले और तीसरे प्रावधान को लागू कर सकती है।
18. किसी कानून की व्याख्या करते समय, हमें किसी अधिनियम या नियम को सार्थक अर्थ देने का प्रयास करना चाहिए तथा ऐसे घातक परिणामों से बचना चाहिए, जो असंभव या अव्यवहारिक परिदृश्यों का कारण बनते

हैं। यदि कोई व्याख्या अनुचित परिणाम उत्पन्न करती है तो उसे किसी कानून पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यदि कोई अन्य समान रूप से संभव व्याख्या है जो स्वीकार्य, व्यावहारिक और प्रयोजनमूलक है, उसे आरोपित किया जाना चाहिए।

19. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि धारा 29क(4) की सहपठित धारा 29क(5) के तहत माध्यस्थम् अधिनिर्णय पारित करने के लिए समय अवधि के विस्तार हेतु आवेदन, जैसा भी मामला हो, बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद भी बनाए रखा जा सकता है। ऐसे विस्तार आवेदनों पर अधिनिर्णय देते समय न्यायालय पर्याप्त कारण के सिद्धांत एवं निर्णय के पैरा 15 में हमारी टिप्पणियों द्वारा निर्देशित होगा।
20. तदनुसार, हम उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रश्न का उत्तर देते हैं। अपीलों को अंतिम सुनवाई और निपटान हेतु दिनांक 30.09.2024 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

मामले का परिणाम: अंतिम सुनवाई और निपटान हेतु अपीलें
सूचीबद्ध की जाएंगी।

शीर्ष टिप्पणियां तैयार की गईं: दिव्या पांडे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.